न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 91 दायर दिनांक : 15.07.2010

1.	दीनानाथ	पुत्र/पुत्रीयां जुम्माराम जाति अरोड़ा निवासीयान
2.	वेदप्रकाश	खाट लबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3.	कृष्णादेवी	जरिये मुख्तयारआम दीनानाथ पुत्र जुम्माराम
4.	अनीता	जाति अरोड़ा निवासी खाट लबाना
5.	प्रवीण	तहसील व जिला श्रीगंगानगर

6. श्रीमती विद्यादेवी पत्नी भगवानदास जाति अरोड़ा निवासी खाट लबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये मु.आ. दीनानाथ पुत्र जुम्माराम जाति अरोड़ा निवासी खाट लबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर

7.	नंदकिशोर	पुत्र/पुत्रीयान भगवानदास जाति अरोड़ा
8.	हंसराज	निवासीयान खाट लबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर
9.	महेन्द्र कुमार	जरिये मुख्तयारआम दीनानाथ पुत्र जुम्माराम
10.	महेश कुमार	जाति अरोड़ा निवासी खाट लबाना
11.	सुमन	तहसील व जिला श्रीगंगानगर

—वादीगण

बनाम

1. पृथ्वीराज पुत्र जीवनराम जाति कुम्हार निवासी कुम्हारांवाली ढ़ाणी हाल 4 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. रामकरण पुत्र जीवनराम (मृतक)

2/1.	वाधुदेवी पत्नी स्व. रामकरण	
2/2.	पोलाराम पुत्र स्व. रामकरण	जाति कुम्हार
2/3.	कृष्ण पुत्र स्व. रामकरण	निवासीयान चक 4 एस.डी.
2/4.	दलीप पुत्र स्व. रामकरण	संगीता तहसील सूरतगढ़
2/5.	राजेन्द्र पुत्र स्व. रामकरण	जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान
2/6.	नाम नामालूम पुत्री रामकरण	
3.	पृथ्वीराज पुत्र गंगाराम	

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 15:53:08 IST
Reason: SelfAttested

4. रामचन्द्र पुत्र खजानचन्द जाति कुम्हार निवासी श्यामसिंहवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

5. गोविन्दराम पुत्र खजानचन्द जाति कुम्हार निवासी श्यामसिंहवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

6. प्रीतमसिंह (मृतक)

6/1. जसवीरकौर पत्नी स्वर्गीय प्रीतमसिंह जाति जटसिख निवासी 4 एस.डी. संगीता तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

6/2. हरजीतसिंह पुत्र स्वर्गीय प्रीतमसिंह जाति जटसिख निवासी 4 एस. डी. संगीता तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

7. सुखराम (मृतक)

7/1. विद्यादेवी पत्नी सुखराम

7/2. हनुमान (फौत) पुत्र सुखराम

7/2/1. कमलादेवी पत्नी हनुमान

7/2/2. रविन्द्र } पि. हनुमान

7/2/3. राकेश }

7/3. पृथ्वीराज पुत्र सुखराम

7/4. पालाराम (मृतक)

7/4/1. उर्मिलादेवी पत्नी पालाराम

7/4/2. रोहित कुमार पुत्र पालाराम

7/4/3. अर्चनादेवी पुत्री पालाराम

जाति जाट
निवासीयान महियांवाली
तहसील व जिला श्रीगंगानगर

8. परमजीतसिंह पुत्र करतारसिंह जाति जटसिख निवासी 4 एस.डी. संगीता तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

9. स्टेट ऑफ राजस्थान

—प्रतिवादीगण

<u>वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 91, 183 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

उपस्थित :

1. श्री अशोक छाबड़ा, अभिभाषक वादीगण
2. श्री भागीरथ बिश्नोई, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 व 8
3. श्री सोमप्रकाश शर्मा, अभिभाषक प्रति. सं. 7/1, 7/2/1, 7/2/3, 7/4/1 ता 7/4/3
4. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ राजस्थान सरकार की ओर से

<u>निर्णय</u> दिनांक : 04.08.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान व पैरोकार राज उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:53:08 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 3 पर

इस प्रकार हैं कि मूल रूप से जरिये मुख्तयारआम दीनानाथ के माध्यम से वादीगण द्वारा एक वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि वादीगण सं. 1 ता 5 के दादा, वादी सं. 6 के ससुर, वादीगण सं. 7 ता 11 के दादा खलिन्दाराम पुत्र खानचन्द को पाक विस्थापित होने से पुनर्वास विभाग द्वारा विभिन्न चकों में रोही संगीता के **चक 4 एस.डी.'ए'** के खाता सं. 51/49 में पत्थर नं. 31/6 के किला नं. 21 = 0.228 है0, पत्थर नं. 11/55 के किला नं. 5 = 0.253 है0, पत्थर नं. 11/63 के किला नं. 1 ता 15 = 3.795 है0, पत्थर नं. 31/7 के किला नं. 1, 2, 10 = 0.709 है0, कुल 4.985 है0 कमाण्ड व **चक 4 एस.डी.'बी'** के खाता सं. 48/49 के पत्थर नं. 11/33 के किला नं. 12, 16 ता 18, 23 ता 25 = 1.303 है0, पत्थर नं. 11/42 के किला नं. 1 = 0.152 है0, पत्थर नं. 11/34 के किला नं. 3 ता 7 = 1.265 है0, पत्थर नं. 11/62 के किला नं. 23 ता 25 = 0.759 है0, कुल 3.479 है0 एवं **चक 5 ए.पी.** के खाता सं. 77/75 के पत्थर नं. 14/59 के किला नं. 3 ता 7 = 1.265 है0, तथा **चक 4 ए.पी.** के खाता सं. 111/105 के पत्थर नं. 34/10 के किला नं. 10, 11, 20 = 0.645 है0, पत्थर नं. 34/2 के किला नं. 6, 7, 11 ता 25 = 4.176 है0, पत्थर नं. 14/58 के किला नं. 15 ता 19, 22 ता 25 = 2.277 है0, पत्थर नं. 34/3 के किला नं. 1 ता 4, 9, 10 = 1.518 है0, पत्थर नं. 34/45 के किला नं. 24, 25 = 0.506 है0, पत्थर नं. 34/53 के किला नं. 14 ता 25 = 2.960 है0, पत्थर नं. 34/54 के किला नं. 1 ता 21 = 5.098 है0, पत्थर नं. 34/46 के किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 23 ता 25 = 2.708 है0, कुल 19.888 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड, इस प्रकार उक्त चारों चकों में कुल 29.617 है0 भूमि का आवंटन किया गया था। खलिन्दाराम की 19.01.1983 को मृत्यु होने के पश्चात् उनके नाम की उक्त भूमि उनके दो पुत्रों जुम्माराम व भगवानदास पुत्रगण खलिन्दाराम को बतौर वारिस प्राप्त हुई एवं पुत्रों जुम्माराम व भगवानदास की मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि में से वादीगण सं. 1 ता 5 को 1/2 हिस्सा व वादीगण सं. 6 ता 11 को 1/2 हिस्सा भूमि का हक खलिन्दाराम को आवंटित उपरोक्त भूमि में प्राप्त हुआ। वर्तमान में मुताबिक जमाबन्दी **चक 4 एस. डी.'ए'** की जमाबन्दी सम्वत् 2062 ता 65 के खाता सं. 51/49 में पत्थर नं.

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:53:08 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 4 पर

31/6 के किला नं. 21 = 0.228 है0, पत्थर नं. 11/55 के किला नं. 5 = 0.253 है0, पत्थर नं. 11/63 के किला नं. 1 ता 15 = 3.795 है0, पत्थर नं. 31/7 के किला नं. 1, 2, 10 = 0.709 है0, कुल 4.985 है0 कमाण्ड व **चक 4 एस.डी.'बी'** की जमाबन्दी सम्वत् 2063 ता 66 के खाता सं. 48/49 के पत्थर नं. 11/33 के किला नं. 12, 16 ता 18, 23 ता 25 = 1.303 है0, पत्थर नं. 11/42 के किला नं. 1 = 0.152 है0, पत्थर नं. 11/34 के किला नं. 3 ता 7 = 1.265 है0, पत्थर नं. 11/62 के किला नं. 23 ता 25 = 0.759 है0, कुल 3.479 है0 एवं **चक 5 ए.पी.** की जमाबन्दी सम्वत् 2063 ता 66 के खाता सं. 77/75 के पत्थर नं. 14/59 के किला नं. 3 ता 7 = 1.265 है0, तथा **चक 4 ए.पी.** की जमाबन्दी सम्वत् 2062 ता 65 के खाता सं. 111/105 के पत्थर नं. 34/10 के किला नं. 10, 11, 20 = 0.645 है0, पत्थर नं. 34/2 के किला नं. 6, 7, 11 ता 25 = 4.176 है0, पत्थर नं. 14/58 के किला नं. 15 ता 19, 22 ता 25 = 2.277 है0, पत्थर नं. 34/3 के किला नं. 1 ता 4, 9, 10 = 1.518 है0, पत्थर नं. 34/45 के किला नं. 24, 25 = 0.506 है0, पत्थर नं. 34/53 के किला नं. 14 ता 25 = 2.960 है0, पत्थर नं. 34/54 के किला नं. 1 ता 21 = 5.098 है0, पत्थर नं. 34/46 के किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 23 ता 25 = 2.708 है0, कुल 19.888 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड, इस प्रकार उक्त चारों चकों में कुल 29.617 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादीगण सं. 1 ता 5 के नाम ब.हि.ब. व 1/2 हिस्सा भूमि वादीगण सं. 6 ता 11 के नाम ब.हि.ब. बतौर गैरखातेदार दर्ज कागजात राज है। उक्त भूमि को वादीगण के पिता/पति जुम्माराम व भगवानदास द्वारा प्रतिवादीगण को हिस्सा–ठेका पर काश्त पर दी थी जो बाद में वादीगण द्वारा भी स्वीकार कर उपरोक्त वादीगण के नाम अंकित गैरखातेदारी भूमि हिस्सा–ठेका पर काश्त हेतु प्रतिवादीगण को दी थी, किन्तु वर्ष 2010 से दो वर्ष पूर्व उनके द्वारा काश्त हेतु दी गई भूमि की शर्तों का उल्लंघन कर वादीगण को हिस्सा–ठेका की राशि नहीं दी गयी। इस हेतु दिनांक 08.04.2010 को विधिक नोटिस भी दिया गया। विधिक नोटिस की दिनांक से प्रतिवादीगण, वादीगण के नाम अंकित भूमि पर नाजायज काश्तकार (Tresspasser) के रूप में काबिज हैं, इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:53:08 IST
Reason: SelfAttested

वाद प्रस्तुत कर वादीगण के नाम अंकित जैरवाद भूमि **चक 4 एस.डी.'ए'** के पत्थर नं. 31/6 के किला नं. 21 = 0.228 है0, पत्थर नं. 11/55 के किला नं. 5 = 0.253 है0, पत्थर नं. 11/63 के किला नं. 1 ता 15 = 3.795 है0, पत्थर नं. 31/7 के किला नं. 1, 2, 10 = 0.709 है0, कुल 4.985 है0 कमाण्ड व **चक 4 एस.डी.'बी'** के पत्थर नं. 11/33 के किला नं. 12, 16 ता 18, 23 ता 25 = 1.303 है0, पत्थर नं. 11/42 के किला नं. 1 = 0.152 है0, पत्थर नं. 11/34 के किला नं. 3 ता 7 = 1.265 है0, पत्थर नं. 11/62 के किला नं. 23 ता 25 = 0.759 है0, कुल 3.479 है0 एवं **चक 5 ए.पी.** के पत्थर नं. 14/59 के किला नं. 3 ता 7 = 1.265 है0, तथा **चक 4 ए.पी.** के पत्थर नं. 34/10 के किला नं. 10, 11, 20 = 0.645 है0, पत्थर नं. 34/2 के किला नं. 6, 7, 11 ता 25 = 4.176 है0, पत्थर नं. 14/58 के किला नं. 15 ता 19, 22 ता 25 = 2.277 है0, पत्थर नं. 34/3 के किला नं. 1 ता 4, 9, 10 = 1.518 है0, पत्थर नं. 34/45 के किला नं. 24, 25 = 0.506 है0, पत्थर नं. 34/53 के किला नं. 14 ता 25 = 2.960 है0, पत्थर नं. 34/54 के किला नं. 1 ता 21 = 5.098 है0, पत्थर नं. 34/46 के किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 23 ता 25 = 2.708 है0, कुल 19.888 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड, इस प्रकार उक्त चारों चकों में कुल 29.617 है0 भूमि पर प्रतिवादीगण का बतौर अतिचारी कब्जा बताते हुए प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि पर किये कब्जे को अतिचारित कब्जा व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 को उक्त भूमि पर अतिचारी घोषित करवाकर उक्त जैरवाद भूमि से प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलवाने व वादकालीन Mense Profit दिलवाने का निवेदन किया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5, 6/1, 6/2 व 8 की ओर से अभिभाषक श्री भागीरथ बिश्नोई उपस्थित आये व जवाब–दावा मय प्रतिवाद– पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं. 7 की ओर से अभिभाषक श्री सोमप्रकाश शर्मा उपस्थित आये व जवाब–दावा मय प्रतिवाद–पत्र प्रस्तुत किया। वादचलन के दौरान प्रतिवादी सं. 2 रामकरण का स्वर्गवास हो जाने पर उनके वारिसान को पक्षकार बनाया गया। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 7/2 हनुमान का

क्रमशः ..... पेज 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:53:08 IST
Reason: SelfAttested

स्वर्गवास हो जाने पर उनके वारिसान को पक्षकार बनाया गया, जिनकी ओर से अभिभाषक उपस्थित आये एवं वाद में भाग लिया। प्रतिवादीगण सं. 7/2/1 से 7/2/3 के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। सभी प्रतिवादीगण ने जवाब–दावा व प्रतिदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनको जैरवाद भूमि इकरारनामा के माध्यम से कब्जा में दी गई है। वे इस भूमि पर अर्सादराज से इकरारनामा के आधार पर काश्त कर रहे हैं। यह भूमि इकरारनामा दिनांक 17.05.1979 के द्वारा खलिन्दाराम ने उन्हें हस्तान्तरित की है जो वर्ष 1983 से पूर्व का है। वर्तमान में इस प्रकार की हस्तान्तरित भूमि के नियमितीकरण के नियम आ चुके हैं। भूमि नियमितीकरण के काबिल है। प्रतिवादीगण ने वादीगण को चिरस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि वे प्रतिवादीगण के कब्जे में मदाखलत ना करें। इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की मांग विरुद्ध वादीगण की गई।

पक्षकारान के जवाब आने के पश्चात् पत्रावली में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

1. आया वाद के पैरा 3 में अंकित 29.617 है0 भूमि वादीगण के ससुर/दादा खलिन्दाराम पुत्र खानचन्द को बतौर विस्थापित आवंटित भूमि है ? (वादीगण)
2. आया दावा के पैरा 7 ता 11 की भूमि पर प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा किया है, प्रतिवादीगण अतिक्रमी है ? (वादीगण)
3. आया वादाधीन भूमि का वादीगण कब्जा प्राप्त करने तथा मालकाना मालगुजारी का 50 गुणा शास्ति प्रतिवादीगण से प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? (वादीगण)
4. आया प्रतिवादीगण वादांकित भूमि पर खलिन्दाराम द्वारा किये गये इकरारनामा के आधार पर काबिज हैं, अतिक्रमी नहीं ? (प्रतिवादीगण)
5. आया मूल आवंटी खलिन्दाराम द्वारा जैरप्रकरण रकबा का कब्जा स्वेच्छा से दिया गया था। दावा वादीगण 183 आर.टी.ए. के तहत नहीं आने से निरस्त योग्य है ? (प्रतिवादीगण)
6. आया इकरारनामा को निरस्त करने का अधिकार क्षेत्र सिविल न्यायालय का होने से दावा निरस्त योग्य है ? (प्रतिवादीगण)

क्रमशः ..... पेज 7 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 15:53:08 IST
Reason: SelfAttested

7. आया वादीगण को पाबन्द किया जावे कि वे प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की जैरप्रकरण भूमि को किसी प्रकार रहन, बैय हस्तान्तरण नहीं करें तथा कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करने से बाज व ममनू रहे ?

(प्रतिवादीगण)

तनकीयात कायमी के पश्चात् साक्ष्य प्राप्त किये गये। उभय पक्ष ने शपथ–पत्र पर बयान प्रस्तुत किये। साक्ष्य प्रस्तुत होने के उपरान्त पक्षकारान के तर्क सुने गये। विद्वान अभिभाषक वादीगण ने वाद–पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए तर्क दिया कि मुताबिक जमाबन्दी जमाबन्दी सम्वत् 2062 ता 65 **चक 4 एस.डी.'ए'** खाता सं. 51/49 व जमाबन्दी सम्वत् 2063 ता 66 **चक 4 एस.डी.'बी'** खाता सं. 48/49, एवं जमाबन्दी सम्वत् 2063 ता 66 **चक 5 ए.पी.** खाता सं. 77/75 तथा जमाबन्दी सम्वत् 2062 ता 65 **चक 4 ए.पी.** खाता सं. 111/105 के अंकन से स्पष्ट है कि वादीगण वादग्रस्त अतिचारित भूमि 29.617 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड भूमि के गैरखातेदार अंकित काश्तकार हैं जिसमें 1/2 हिस्सा वादीगण सं. 1 ता 5 का व 1/2 हिस्सा वादीगण सं. 6 ता 11 का बहिस्सा बराबर दर्ज कागजात राज है। यह भूमि मूल रूप से खलिन्दाराम को पाक विस्थापित के रूप में पुनर्वास विभाग द्वारा आवंटित की गयी थी। मूल आवंटिती की 19.01.1983 को मृत्यु हो गई व यह भूमि उनके वारिसों के नाम अंकित की गयी। खलिन्दाराम द्वारा भूमि हिस्से–ठेके पर दी गई थी। पूर्व में ठेका राशि वादीगण को दी जाती रही, किन्तु वर्ष 2009 में पुनर्वास की आवंटित भूमि के कब्जाधारकों के नियमितीकरण के नियम आने से प्रतिवादीगण बदयान्त हो गये और ठेका राशि नहीं दी। परिणाम स्वरूप वादीगण द्वारा विधिक नोटिस देकर प्रतिवादीगण को अतिचारी मानकर भूमि का कब्जा देने को कहा। कब्जा ना देने पर वाद 183 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया। वाद के जवाब–दावा व प्रतिदावा से स्पष्ट है कि मूल रूप से खलिन्दाराम द्वारा इकरारनामा दिनांक 17.05.1979 को किया गया जिन्होंने आगे इकरारनामा से प्रतिवादीगण को इकरारनामा में हस्तान्तरित किया है। प्रथम इकरारनामा अपंजीकृत व वैधता विवादित है। पश्चात्वर्ती इकरारनामा स्वतः ही अधिकारहीन होने से अपालनीय है। इकरारनामा पंजीकृत नहीं है, साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य नहीं है। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 स्पष्ट रूप से वादीगण के नाम अंकित भूमि पर ''अतिक्रमी'' की

क्रमशः ..... पेज 8 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:53:08 IST
Reason: SelfAttested

परिभाषा में आते हैं। तनकीयात जिनका भार वादीगण पर है, पूर्ण रूप से सिद्ध की गई है, इसलिए वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को वादीगण के नाम अंकित वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलवाने के आदेश देने की प्रार्थना की। तर्कों की पुष्टि में न्याय उद्धरण प्रकाशित आर.आर.डी. 2002 पेज सं. 582, आर.बी.जे. 1996 पेज सं. 107, आर.आर.डी. 1994 पेज सं. 145 व आर. आर.डी. 2014 पेज सं. 499 पेश किये गये।

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 व 8 श्री भागीरथ बिश्नोई ने अभिभाषक वादीगण के तर्कों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि वर्तमान में जमाबन्दी में वाद अंकित भूमि बतौर गैरखातेदार वादीगण के नाम अंकित है, यह स्वीकार है, किन्तु प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर अतिचारी के रूप में कब्जा है, यह स्वीकार नहीं है। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 का इकरारनामा खरीद के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर नियमानुसार कब्जा काश्त है। वादग्रस्त भूमि का कब्जा पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर प्रतिवादीगण को स्वीकृति से प्राप्त हुआ है व स्वीकृति 2008 तक वादीगण स्वीकार करते हैं। उक्त भूमि का पूर्ण प्रतिफल अदा कर मूल अंकित काश्तकार द्वारा कब्जा प्रतिवादीगण को हस्तान्तरण इकरारनामा के माध्यम से दिया है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के कृषक हैं, अतिक्रमी नहीं हैं। वाद समयावधि से बाहर (Time barred) होने से निरस्ती योग्य है। सहमति से कब्जा लिया है। इकरारनामा इस विषय में निष्क्रान्त भूमि नियमितीकरण हेतु बने नियमों के अन्तर्गत नियमितीकरण होने योग्य है। प्रतिवादीगण को कब्जा सहमति से दिया जाना वादीगण ने वाद में स्वीकार किया है, प्रतिवादीगण अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आते, इसलिए वाद वादीगण निरस्ती योग्य है। अपने तर्कों की पुष्टि में न्याय उद्धरण प्रकाशित आर.आर.डी. 1977 पेज सं. 381 व आर.आर.डी. 2000 पेज सं. 306 पेश किये। इस आधार पर वाद निरस्त करने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 7/1, 7/2/1, 7/2/3, 7/4/1 ता 7/4/3 श्री सोमप्रकाश शर्मा ने अपने प्रतिवाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए तर्क दिया कि मूल रूप से आरम्भ में वादीगण ने वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्रतिफल लेकर प्रतिवादीगण को दिया है। इस अवस्था में वे अतिचारी की

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

..... पेज 9 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:53:08 IST
Reason: SelfAttested

परिभाषा में नहीं आते, इसलिए वाद वादीगण निरस्त करने की प्रार्थना की। अपने तर्कों के समर्थन में न्याय निर्णय राजस्थान सरकार बनाम पदमावती निर्णय दिनांक 06 अप्रैल 1995 की चित्रप्रति पेश की। वाद वादीगण धारा 183 आर.टी.ए. की परिधि में न आने के कारण निरस्त करने की प्रार्थना की।

पैरोकार राज ने राज्य हित को ध्यान में रखकर वाद निर्णय की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषकगण के तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में इस सम्बन्ध में प्रस्तुत साक्ष्य व न्याय निर्णयों का ध्यानपूर्वक व सम्मानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। तनकीवार विवेचन इस प्रकार है :–

तनकी नं. 1 – आया वाद के पैरा 3 में अंकित 29.617 है0 भूमि वादीगण के ससुर/दादा खलिन्दाराम पुत्र खानचन्द को बतौर विस्थापित आवंटित भूमि है ? (वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने इस तनकी को सिद्ध करने के लिए स्वयं के बयान करवाये हैं व अपने नाम अंकित भूमि के दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दियां प्रस्तुत की हैं। साथ ही खलिन्दाराम को रोही संगीता के खसरा नम्बरान में हुए आवंटन के आधार पर कब्जा देने का पत्र फोटो कॉपी प्रस्तुत किये हैं। इस सम्बन्ध में शपथ–पत्र ही कानूनी दस्तावेज की परिभाषा में आते हैं। फोटो कॉपी को दस्तावेजी साक्ष्य नहीं समझा जा सकता, किन्तु खलिन्दाराम को हुए आवंटन को सभी पक्षकार स्वीकार करते हैं। इस आधार पर ही इस तनकी को बहक वादीगण निर्णय किया जाता है।

तनकी नं. 2 – आया दावा के पैरा 7 ता 11 की भूमि पर प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा किया है, प्रतिवादीगण अतिक्रमी है ? (वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था। वादीगण स्वयं अपने वाद में यह स्वीकार करके कथन करते हैं कि वादग्रस्त भूमि को खलिन्दाराम एवं उसके पश्चात् वादीगण द्वारा हिस्से–ठेके पर काश्त हेतु प्रतिवादीगण को काश्त पर देते रहे हैं। यही कथन उनके द्वारा शपथ–पत्र पर दिये गये साक्ष्य से भी प्रकट होते हैं। स्पष्ट रूप से प्रतिवादीगण द्वारा बलपूर्वक वादग्रस्त भूमि पर कब्जा प्राप्त नहीं किया गया। वादीगण द्वारा भी साक्ष्य में

क्रमशः ..... पेज 10 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:53:08 IST
Reason: SelfAttested

कहीं यह अंकित नहीं किया गया कि किस दिनांक को वादग्रस्त भूमि उनके कब्जा काश्त में थी एवं प्रतिवादीगण ने बलपूर्वक उनके कब्जे को 'समाप्त' कर वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्राप्त किया। इस अवस्था में बलपूर्वक वादीगण को बेदखल कर वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण द्वारा किया गया, कतई सिद्ध नहीं होता। प्रतिवादीगण को वादीगण की स्वीकृति से ही प्रतिफल प्राप्त कर कब्जा दिया गया, जो पूर्ण रूप से साक्ष्य से सिद्ध होता है। वादीगण स्वयं वाद के पैरा संख्या 4 में इसे माना है कि वादग्रस्त भूमि हिस्सा–ठेका पर प्रतिवादीगण को दी थी। यह हिस्सा–ठेका पर दी अथवा बजरिये इकरारनामा प्रतिफल लेकर बेचान की गई, यह तथ्य विवादित हो सकता है, जो इस स्तर पर विचारणीय नहीं। यहां बिन्दु भूमि जबरन कब्जा की गई अथवा वादीगण की स्वीकृति से कब्जा में दी गई, यह विचारणीय है। प्रस्तुत न्याय निर्णयों व प्रचलित नियम अनुसार ना तो प्रतिवादीगण को अतिचारी (अतिक्रमी) नहीं माना जा सकता। मूल रूप से प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर बलपूर्वक कब्जा प्राप्त किया हो, ऐसा वादीगण सन्देह से परे सिद्ध नहीं कर सके। इस तनकी के सिद्ध ना होने से विरुद्ध वादीगण निर्णय की जाती है। प्रतिवादीगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय उद्धरण प्रकाशित आर.आर.डी. 1977 पेज सं. 381 में भी यही माना गया है कि स्वीकृत कब्जा प्रतिवादीगण द्वारा प्राप्त होने पर उसे बलपूर्वक अथवा अतिचारी का कब्जा नहीं माना जा सकता।

तनकी नं. 3 – <u>आया वादाधीन भूमि का वादीगण कब्जा प्राप्त करने तथा मालकाना मालगुजारी का 50 गुणा शास्ति प्रतिवादीगण से प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?</u> (वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था। इस तनकी का सम्बन्ध तनकी नं. 2 से भी है जो वादीगण सिद्ध नहीं कर पाये हैं। प्रतिवादीगण ने भूमि पर कब्जा स्वीकृत रूप से इकरारनामा अपंजीकृत के आधार पर वादीगण के पूर्वज से प्राप्त किया है। प्रतिवादीगण, वादीगण के पूर्वज खलिन्दाराम व उनकी मृत्यु उपरान्त वादीगण की स्वीकृति से उक्त भूमि पर काबिज रहे हैं। विधि की प्रक्रिया अपना कर व अपंजीकृत लेख के विषय में व्यवहार न्यायालय से घोषणा प्राप्त कर ही किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त कर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

क्रमशः ..... पेज 11 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:53:08 IST
Reason: SelfAttested

सकते हैं। इस तनकी का सम्बन्ध तनकी नं. 2 से भी है जो उनके विरुद्ध निर्णय की गई है। इसी अनुसार तनकी नं. 3 का निर्णय विरुद्ध वादीगण किया जाता है।

तनकी नं. 4 – आया प्रतिवादीगण वादांकित भूमि पर खलिन्दाराम द्वारा किये गये इकरारनामा के आधार पर काबिज हैं, अतिक्रमी नहीं ? (प्रतिवादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए इकरारनामा की फोटो प्रति पेश की गई है। साक्ष्य द्वारा उसे पुष्ट भी किया गया है। इकरारनामा अपंजीकृत है, किन्तु स्वीकृति से कब्जा दिये जाने के तथ्य की सीमा तक उसे साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है तथा इसी सीमा तक साक्ष्य स्वीकार करते हुए यह माना जाता है कि प्रतिवादीगण, वादीगण एवं उनके पूर्वज द्वारा दी गई स्वीकृति के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर काबिज हुए हैं। इस सीमा तक इस तनकी को बहक प्रतिवादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 5 – आया मूल आवंटी खलिन्दाराम द्वारा जैरप्रकरण रकबा का कब्जा स्वेच्छा से दिया गया था। दावा वादीगण 183 आर.टी.ए. के तहत नहीं आने से निरस्त योग्य है ? (प्रतिवादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादीगण पर था। इस तनकी का सम्बन्ध तनकी नं. 4 से भी है। उसी अनुसार तनकी नं. 5 बहक प्रतिवादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 6 – आया इकरारनामा को निरस्त करने का अधिकार क्षेत्र सिविल न्यायालय का होने से दावा निरस्त योग्य है ? (प्रतिवादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादीगण पर था। इस सम्बन्ध में इकरारनामा की वैधता को सिद्ध करने का अधिकार व्यवहार न्यायालय को है। इसके आधार पर विशिष्ट करार पालना का वाद भी व्यवहार न्यायालय का ही है। अतः इस तनकी को बहक प्रतिवादीगण निर्णय किया जाता है।

तनकी नं. 7 – आया वादीगण को पाबन्द किया जावे कि वे प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की जैरप्रकरण भूमि को किसी प्रकार रहन, बैय हस्तान्तरण नहीं करें तथा कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करने से बाज व ममनू रहे?(प्रतिवादीगण)

क्रमशः ..... पेज 12 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:53:08 IST
Reason: SelfAttested

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादीगण पर था। इकरारनामा अपंजीकृत को साक्ष्य में मात्र कब्जा स्वीकृति के तथ्य तक पढ़ा जा सकता है। प्रतिवादीगण को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते, इसलिए यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादीगण निर्णय की जाती है। यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि कथित इकरारनामा के आधार पर प्रतिवादीगण का कब्जा वादीगण की स्वीकृति से ही प्रारम्भिक रूप से हुआ है, मात्र इसी सीमा तक इस इकरारनामा को पढ़ा जा सकता है, वह भी वाद कथनों के अनुसरण में पढ़ने योग्य है। इससे न तो प्रतिवादीगण को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं व न अधिकारों के सृजन के अभाव में प्रतिवादीगण किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं बनते, क्योंकि कथित इकरारनामा से वे काश्तकार की परिभाषा में नहीं आते, इसलिए उनका प्रतिवाद भी निरस्ती के योग्य है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार तनकी नं. 1 के अतिरिक्त अन्य तनकी नं. 2 व 3 विरुद्ध वादीगण, तनकी नं. 4, 5 व 6 बहक प्रतिवादीगण एवं तनकी नं. 7 विरुद्ध प्रतिवादीगण निर्णय की गई। विवेचन अनुसार वाद वादीगण व प्रतिवाद प्रतिवादीगण निरस्त किये जाते हैं। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04-08-2020

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:53:08 IST
Reason: SelfAttested

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास – मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अनवान :–

1. दीनानाथ
2. वेदप्रकाश
3. कृष्णादेवी
4. अनीता
5. प्रवीण

पुत्र/पुत्रीयां जुम्माराम जाति अरोड़ा निवासीयान खाट लबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये मुख्तयारआम दीनानाथ पुत्र जुम्माराम जाति अरोड़ा निवासी खाट लबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर

6. श्रीमती विद्यादेवी पत्नी भगवानदास जाति अरोड़ा निवासी खाट लबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये मु.आ. दीनानाथ पुत्र जुम्माराम जाति अरोड़ा निवासी खाट लबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर

7. नंदकिशोर
8. हंसराज
9. महेन्द्र कुमार
10. महेश कुमार
11. सुमन

पुत्र/पुत्रीयान भगवानदास जाति अरोड़ा निवासीयान खाट लबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये मुख्तयारआम दीनानाथ पुत्र जुम्माराम जाति अरोड़ा निवासी खाट लबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर

–वादीगण

बनाम

1. पृथ्वीराज पुत्र जीवनराम जाति कुम्हार निवासी कुम्हारांवाली ढ़ाणी हाल 4 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. रामकरण पुत्र जीवनराम (मृतक)
   - 2/1. वाधुदेवी पत्नी स्व. रामकरण
   - 2/2. पोलाराम पुत्र स्व. रामकरण
   - 2/3. कृष्ण पुत्र स्व. रामकरण
   - 2/4. दलीप पुत्र स्व. रामकरण
   - 2/5. राजेन्द्र पुत्र स्व. रामकरण
   - 2/6. नाम नामालूम पुत्री रामकरण

   जाति कुम्हार निवासीयान चक 4 एस.डी. संगीता तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान
3. पृथ्वीराज पुत्र गंगाराम
4. रामचन्द्र पुत्र खजानचन्द जाति कुम्हार निवासी श्यामसिंहवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
5. गोविन्दराम पुत्र खजानचन्द जाति कुम्हार निवासी श्यामसिंहवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
6. प्रीतमसिंह (मृतक)
   - 6/1. जसवीरकौर पत्नी स्वर्गीय प्रीतमसिंह जाति जटसिख निवासी 4 एस.डी. संगीता तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
   - 6/2. हरजीतसिंह पुत्र स्वर्गीय प्रीतमसिंह जाति जटसिख निवासी 4 एस. डी. संगीता तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

क्रमशः ..... पेज 2 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:53:08 IST
Reason: SelfAttested

7. सुखराम (मृतक)
   7/1. विद्यादेवी पत्नी सुखराम
   7/2. हनुमान (फौत) पुत्र सुखराम
      7/2/1. कमलादेवी पत्नी हनुमान
      7/2/2. रविन्द्र } पि. हनुमान
      7/2/3. राकेश }
   7/3. पृथ्वीराज पुत्र सुखराम
   7/4. पालाराम (मृतक)
      7/4/1. उर्मिलादेवी पत्नी पालाराम
      7/4/2. रोहित कुमार पुत्र पालाराम
      7/4/3. अर्चनादेवी पुत्री पालाराम

} जाति जाट निवासीयान महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर

8. परमजीतसिंह पुत्र करतारसिंह जाति जटसिख निवासी 4 एस.डी. संगीता तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
9. स्टेट ऑफ राजस्थान

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 91, 183 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 91 वर्ष 2010 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादीगण श्री अशोक कुमार छाबड़ा व अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 से 6, 8 श्री भागीरथ बिश्नोई, एवं अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 7/1, 7/2/1, 7/2/3, 7/4/1 ता 7/4/3 श्री सोमप्रकाश शर्मा तथा प्रतिवादी सं. 9 की ओर से पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादीगण व प्रतिवाद प्रतिवादीगण निरस्त किये जाते हैं।

नोज ....×......... मुबलिंग ....×.......... बाबत ....×........... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×.............. फसदों की पालना ....×............आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 04.08.2020 को जारी की गई।

04/08-2020

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 15:53:08 IST
Reason: SelfAttested